

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ  
2 जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक : F:26(4)( )PMMVY/ICDS/2017-18/ 172255-288

दिनांक : 20-09-18


उपनिदेशक,  
महिला एवं बाल विकास विभाग,  
समस्त

विषय:- 'प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना' को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन के लिए दिनांक 24.09.18 को उपनिदेशकों, बाल विकास परियोजना अधिकारियों व संबंधित महिला पर्यवेक्षकों की एक दिवसीय सम्मेलन/आमुखीकरण कार्यशाला के संबंध में।  
प्रसंग :- विभागीय पत्रांक 171397-429 दिनांक 20.09.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा आपको 'प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना' को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन के लिए यूनिसेफ के सहयोग से दिनांक 24 सितम्बर, 2018 को प्रातः 11.30 बजे से राजस्थान कृषि अनुसंधान केन्द्र, दुर्गापुरा, जयपुर में एक दिवसीय सम्मेलन/आमुखीकरण कार्यशाला आयोजित के क्रम में लिखा गया था।

उक्त पत्र में जिला कार्यक्रम सहायक PMMVY के स्थान पर जिला कार्यक्रम समन्वयक PMMVY पढा जावें।

उक्त कार्यशाला में उपनिदेशक अपने साथ जिले से समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं संबंधित सम्मानित महिला पर्यवेक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के अलावा जिले के DISM व जिला कार्यक्रम समन्वयक PMMVY को भी अपने साथ लाना सुनिश्चित करें।


  
राज्य प्रभारी अधिकारी (PMMVY)/  
अतिरिक्त निदेशक (आई)  
समेकित बाल विकास सेवाएँ,  
राजस्थान जयपुर

दिनांक : 20-09-18

क्रमांक : F:26(4)( )ECCE/ICDS/2015/ 172288-598

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, माननीया मंत्री महोदया, मवावि, राजस्थान सरकार
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मवावि, राजस्थान सरकार
3. निजी सचिव, निदेशक, आईसीडीएस
4. श्रीमती मीनाक्षी सिंह, पोषण विशेषज्ञ, यूनिसेफ, जयपुर।
5. कम्प्यूटर प्रोग्रामर को विभागीय वैबसाइट पर डालने हेतु।
6. प्रभारी अधिकारी (स्टोर), मुख्यालय को कार्यशाला की समस्त व्यवस्था हेतु।
7. उपनिदेशक (प्रशासन) को भेजकर लेख है कि कृपया कार्यशाला की व्यवस्था एवं कार्यशाला के अन्य कार्य हेतु लगभग 5 कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करावें।
8. संबंधित .....LS/CDPO/ACDPO को भेजकर लेख है कि दिनांक 24.09.2018 को प्रातः 11.30 तक उपरोक्तानुसार कार्यशाला स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

  
राज्य प्रभारी अधिकारी (PMMVY)/  
अतिरिक्त निदेशक (आई)